न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-59/2017

संतोष देवी पत्नी रामदेवाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम फागलवा तहसील धोद जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- कानीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल } जाति जाट निवासीगण ढाणी चुडोली
2- हरकोरी देवी पत्नी उदाराम } तहसील धोद जिला सीकर ।

3- भूमिधारी तहसीलदार धोद तहसील धोद मु0 सीकर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19-5-2017 द्वारा
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सांवरमल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 18.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालतमातहत में दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नं0 19 रकबा 3.39 हैक्टर ग्राम चूडोली में वादिया 1.69 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं0-1 का 1.13 हैक्टर तथा प्रतिवादिया सं0-2 का रकबा 0.57 हैक्टर की खातेदारी है। उक्त आराजी के पूर्व में खसरा नं0 23 गै0मु0 चारागाह सरकारी भूमि अवस्थित है । जिसके मध्य में से ढाणी चूडोली से फागलवा तक जाने वाली सडक गुजरती है। खसरा नं0-19 में आवागमन का एक मात्र रास्ता उसके पूर्वी दिशा मेंसे है । विवादित आराजी संयुक्त कब्जे

Web Copy - Not Official

जिसको अन्दाज से ही काश्त करते हैं । वादिया अपने हिस्से का विधिवत बंटवारा करवाकर खाता अलग करवाना चाहती है ताकि राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं हो तथा अपने हिस्से की आराजी का समुचित विकास कर सके । अतः प्रत्येक हिस्सेदार को उसके हिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुपात में बंटवारा करके खाता अलग अलग किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये आदेश पारित किया है । अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा वाद पत्र में आवेदन अन्तर्गत आदेश-7 नियम-11 सीपी एवं धारा-151 सीपीसी का दिनांक 22-7-16 को प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र में नियत थी ।किन्तु अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये नियत तारीख पेशी दिनांक 01-6-2017 से पूर्व ही दिनांक 19-5-17 को बिना पक्षकारों को सुने अपनी मनमर्जी से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो विधि के विपरित है ।आराजी ख0नं0 19 का बंटवारा करते हुये इसके अन्दर से ही रास्ते को कायम कर बंटवारा किया जाना चाहिये था किन्तु इस आशय का निर्णय नहीं किया और न ही दावे में तनकीयात कायम कर साक्ष लेकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस विधिक प्रक्रिया को बिना अपनाये बिना पक्षकारों को सुने नियत पेशी से पूर्व ही निर्णय पारित किया है । खसरा नं0 19 के उत्तरी तरफ खसरा नं0-17 व 18 के खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता नहीं होने पर खसरा नं0 17 व 18 के खातेदारों द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधि--कारी धोद के यहां प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251"क" प्रस्तुत किया गया । जिसमें दिनांक 9-4-14 को निर्णय पारित करते हुए खसरा नं0-19 के पूर्वी सीमा के मध्य में से उत्तर की तरफ ख0नं0 17 तक

सं0-1 व 2 ने माननीय न्यायालय हाजा में अपील पेश कर रखी है जिसकी मु0सं0 60/2014 है जिसमें रेस्पोन्डेन्ट ने ख0नं0 19 के दक्षिण तरफ रास्ता मौजूद होना मान्य किया तथा उसी को मान्य कर माननीय न्यायालय हाजा में रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया है । जिस पर मौका रिपोर्ट मंगाई ई गई जिसमें ख0नं0 19 के दक्षिण में रास्ता चालू दिखाया गया है । किन्तु विभाजन प्रस्ताव में इस रास्तेव का कोई अंकन नहीं किया गया है । इस की आड में रेस्पोन्डेन्ट इस रास्ते को जबरन बन्द कर खसरा नं0-19 के मध्य से रास्ता के निशान मिटाने पर आमादा है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या-1 ने जबाब दावा पेश किया जिसमें मद संख्या-3 में पक्षकारों ने ख0नं0 19 का बंटवारा कर रखा है जिसमें ख0नं0 19 के पूर्वी तरफ की प्रतिवादी सं0-2 तथा इसके पश्चिम में प्रतिवादी सं0-1/अपीलान्ट की तथा प्रतिवादी सं0-1/अपीलान्ट के पश्चिम में वादीनी के हक हिस्से की भूमि है । इसी के अनुसारतहसीलदार ने मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है ।अर्थात वादी ने बंटवारा चाहा जिसका जबाब प्रतिवादी/अपीलान्ट ने पेश कर बंटवारा पूर्व में होना बताया है जो मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही पूर्व का बंटवार-रा होना साबित है । अब केवल पक्षकारों को इस बात के लिये ही बार बार विधिक प्रक्रिया का सहारा लेकर इधर उधर घुमाना हम उचित नहीं चाहते हैं । क्योंकि विभाजन प्रस्ताव मुताबिक जबाब दावा के अनुसार आया है ।जैसा मौके पर अपीलान्ट ने बंटवारा किया जाना पूर्व में बताया । अब इसमें प्रकरण में किसी विधिक प्रक्रिया की चूक रही है तो भी पक्षकारों के मध्य न्याय तो हुआ

यह हुक्म कोई करमूत प्रभाव नहीं डालती है।

--5--

है । केवल प्रकरण का नियत तारीख पेशी से पूर्व राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प में निर्णय किया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित है ।पक्षकारों का मौके के अनुसार ही अपीलान्ट द्वारा जबाब दावे में दर्शाये गये बंटवारे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव आया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर{द्वितीय} सीकर का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19-5-2017 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.12.2017 को सुनाया गया ।

18/12/17

{भंवरलाल मेहरड़ा}
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर